उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-77/2020/1193/92-2-2020-55एम(जांच)/2019
लखनऊ :: दिनांक:: 19 जून, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

श्री श्रीकृष्ण कुमार जायसवाल, सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड चित्रकूट के द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना के अन्तर्गत सी0जी0एफ0 की धनराशि से जनपद चित्रकूट के क्लस्टर कसहाई की 06 ग्राम पंचायतो में 56 गलियों जिसमें ग्राम पंचायत लोढवारा की तीन गलियों-1- हरी बढई के घर से भगवार माली के घर तक सी0सी0 रोड एवं नाली, लम्बाई 145 मीटर। 2- रामप्रसाद के घर से जानकी का पुरवा तक सी0सी0 रोड एवं नाली, लम्बाई 375 मीटर। 3- राम औतार के घर से बारेलाल कुशवाहा के घर तक सी0सी0 रोड एवं नाली, लम्बाई 120 मीटर। के निर्माण कार्य मानक के विपरीत व निम्न कोटि का कराये जाने व समस्त कार्य डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना की गाइड लाइन के अनुसार न कराये जाने एवं प्रशासनिक स्वीकृति के सापेक्ष विभिन्न गलियों में कार्य की लम्बाई में बिचलन होने, मार्ग के अधिकांश कान्ट्रेक्शन ज्वाइन्टस निर्धारित दूरी से अधिक दूरी पर होने आदि अनियमितताओं हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2044/92-2-2019-55एम(जांच)/2019, दिनांक 06.09.2019 द्वारा श्री श्रीकृष्ण कुमार जायसवाल, सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड चित्रकूट के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु मुख्य अभियंता (पूर्वी क्षेत्र), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया।

2- शासन के पत्र संख्या-2469/92-2-2019-55एम/2019, दिनांक 08.11.2019 द्वारा अपचारी अधिकारी श्री श्रीकृष्ण कुमार जायसवाल के विरूद्ध अनुमोदित आरोप पत्र शासन के पत्र दिनांक 13.11.2019 द्वारा जांच अधिकारी/मुख्य अभियन्ता(पूर्वी क्षेत्र), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ को प्रेषित करते हुए नियमानुसार जांच कार्यवाही पूर्ण कर जांच आख्या शासन में निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जांच अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 21.12.2019 द्वारा जांच आख्या शासन मे उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी ने अपचारी अधिकारी श्री जायसवाल के विरूद्ध अधिरोपित कुल-01 आरोप को अपचारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये बचाव उत्तर व संलग्न साक्ष्य स्वरूप अभिलेखों के सापेक्ष जांच आख्या की विवेचना में आरोप संख्या-1 को आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया। आंशिक रूप से प्रमाणित पाये गये आरोप के संबंध में शासन के पत्र दिनांक 06.01.2020 द्वारा अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन मांगा गया, जो अपचारी अधिकारी के पत्र दिनांक 16.01.2020 द्वारा शासन मे उपलब्ध कराया गया, जिसपर शासन के पत्र दिनांक 08.05.2020 से जांच अधिकारी से अपचारी अधिकारी द्वारा उल्लिखित बिन्दुओं पर आख्या मांगी गयी। जांच अकिधारी के पत्र दिनांक 20.03.2020 के द्वारा आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी।

3- अपचारी अधिकारी श्री श्रीकृष्ण कुमार जायसवाल के विरूद्ध अधिरोपित आरोप संख्या-1, अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर, जांच अधिकारी की जांच आख्या/विवेचना मे आंशिक रूप से प्रमाणित पाये गये आरोप संख्या-1 के संबंध मे प्राप्त अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन व अभ्यावेदन में उल्लिखित बिन्दुओं पर प्राप्त जांच अधिकारी की आख्या एवं अन्य संगत अभिलेखों के सम्यक परीक्षणोपरान्त पाया गया कि उक्त कार्य श्री जायसवाल के कार्यकाल का नहीं है। ग्राम पंचायत लोढ़वारा में दिनांक 10.08.2018 से दिनांक 21.10.2018 तक कार्य किया गया है, जबकि श्री जायसवाल द्वारा प्रखण्ड चित्रकूट मे दिनांक

30.10.2018 को कार्यभार ग्रहण किया गया है। श्री जायसवाल द्वारा केवल द्वितीय और तृतीय रनिंग बिल के भुगतान की संस्तुति निरीक्षण के उपरान्त की गयी है। अत: इस प्रकार जांच अधिकारी द्वारा आंशिक रूप से प्रमाणित बताये गये आरोप संख्या-1 को श्री श्रीकृष्ण के विरूद्ध प्रमाणित नही पाया गया है। अतएव शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2044/92-2-2019-55एम(जांच)/2019, दिनांक 06.09.2019 द्वारा श्री श्रीकृष्ण कुमार जायसवाल, सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड चित्रकूट के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को दण्ड रहित समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-77/2020/1193(1)/92-2-2020 तददिनांक।</u>

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2- जांचअधिकारी/मुख्य अभियंता (पूर्वी क्षेत्र), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
3- श्री श्रीकृष्ण कुमार जायसवाल, सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड चित्रकूट द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रमाकान्त शुक्ल)
अनु सचिव।